न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 15/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/204

अनवान

प्रेमाराम पुत्र सामाराम जाति भील निवासी केरीया, तहसील चितलवाना जिला जालोर।

प्रार्थी...........

सरकार तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थी...........

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 28.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19.09.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हनुमानगढ़, पटवार हल्का गोलासन के खेत खसरा नम्बर 1448/1396 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1449/1396 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1578/1450 रकबा 0.6613 हैक्टेयर कुल खसरे 3 जुमले रकबा 1.0313 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी का कब्जाकाश्त का दर्जसुदा आया हुआ है। उक्त आराजी के खसरा नम्बर 1449/1396 रकबा 0.36 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1578/1450 रकबा 0.6613 हैक्टेयर जो खसरा नम्बर 1396/1154 रकबा 3.88 हैक्टेयर से सृजित हुए है। खसरा नम्बर 1396/1154 रकबा 3.88 हैक्टेयर की आराजी हीरा पुत्र हेमराज हिस्सा 1/2, केसा पुत्र हेमराज हिस्सा 1/2 संयुक्त खातेदारी की दर्ज थी जिसमें से 1.3687 हैक्टेयर भूमि भारतमाल परियोजना सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार गैर मुमकिन सडक के नाम [illegible] 1396 रकबा 1.3687 हैक्टेयर की दुरस्ती की गई। शेष भू–भाग के खसरा नम्बर 14[illegible]1396 [illegible] 2.1413 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1449/1396 रकबा 0.36 [illegible] भारतमाला के अवाप्ति के बाद मौके पर खसरा नम्ब हैक्टेयर र 1449/1396 का रकबा 0.6213 हैक्टेयर रहा तथा खसरा नम्बर 1450/1396 रकबा 1.88 हैक्टेयर शेष रहा, उसके बाद दोनों खातेदार हीरा व केसा ने आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया, जिसमें खसरा नम्बर 1450/1396 रकबा 2.1413 हैक्टेयर में से केसा के बंट में 1.48 हैक्टेयर भूमि आई, जिसके नवीन खसरा नम्बर 1577/1450 की दुरस्ती की गई तथा हीरा के बंट में खसरा नम्बर 1450/1396 रकबा 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

1413 हैक्टेयर में से 0.6613 हैक्टेयर की दुरस्ती की गई तथा खसरा नम्बर 1449 / 1396 रकबा 0.36 हैक्टेयर बंटे में रखा जाकर खाता विभाजन किया गया। हीरा पुत्र हेमराज से मुझ प्रार्थी ने हीरा पुत्र हेमराज की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का जरिये बेचान खरीद कर लिया, खरीद करने के बाद मेरे बंट के दोनो खसरों का मुझ प्रार्थी द्वारा नाप करवाया तो मौके पर खसरा नम्बर 1449 / 1396 रकबा 0.36 हैक्टेयर के बजाय 0.6213 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1578 / 1450 रकबा 0.6613 के बजाय 0.40 हैक्टेयर भूलवंश दर्ज हो गया, जो एक लिपिकीय भूल है। हल्का पटवारी द्वारा भारत माला के अवाप्ति नामांतरण भरते वक्त मौके पर अवाप्ति अनुसार नामांतरण में भूलवंश खसरा संख्या 1449 / 1396 रकबा 0.6613 हैक्टेयर के बजाय 0.36 हैक्टेयर अर्थात 0.3013 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज कर दी तथा खसरा नम्बर 1450 / 1396 रकबा 1.88 हैक्टेयर के बजाय 2.1413 हैक्टेयर दर्ज कर दी, खसरा नम्बर 1450 / 1396 रकबा 2.1413 हैक्टेयर (दर्ज अनुसार) बंटवाडा में 0.6213 हैक्टेयर रहा तथा खसरा नम्बर 1449 / 1396 रकबा 0.36 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1578 / 1450 रकबा 0.6613 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.0213 हैक्टेयर जो प्रार्थी के खातेदारी खेत के दर्जसुदा आये हुए है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 1449 / 1396 रकबा 0.6213 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1578 / 1450 रकबा 0.40 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.0213 हैक्टेयर हैं जो एक लिपिकीय भूल है जिसकी दुरस्ती करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि वाके मौजा हनुमानगढ के नवीन खसरा नम्बर 1578 / 1450 रकबा 0.6613 हैक्टेयर के बजाय रकबा 0.40 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1449 / 1396 रकबा 0.36 हैक्टेयर के बजाय रकबा 0.6213 हैक्टेयर प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में रकबा दुरस्ती करवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से तहसीलदार सांचौर द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः– वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम हनुमानगढ के खसरा नम्बर 1449 / 1396 रकबा 0.36 व खसरा नम्बर 1578 / 1450 रकबा 0.6613, 1460 / 1154 रकबा 0.01 जुमले रकबा 1.0313 हैक्टर दर्ज है। उक्त खसरा का मौके पर खसरा संख्या 1449 / 1396 का रकबा 6613 खसरा संख्या 1578 / 1450 का रकबा 0.40 है। अतः राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये जाने के लिये खसरा संख्या 1449 / 1396 का रकबा 0.36 है कि बजाय 0.6213 है व खसरा संख्या 1378 / 1450 का रकबा 0.6613 है कि बजाय 0.40 है किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:38 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाके मौजा हनुमानगढ के नवीन खसरा नम्बर 1578 / 1450 रकबा 0.6613 हैक्टेयर के बजाय रकबा 0.40 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1449 / 1396 रकबा 0.36 हैक्टेयर के बजाय रकबा 0.6213 हैक्टेयर प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में रकबा दुरस्ती करवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

5. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया व राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, पत्रावली एंव उस पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का भली–भांति

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार सांचौर से प्राप्त जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान रेकर्ड अनुसार ग्राम हनुमानगढ के उक्त खसरा का मौके पर खसरा संख्या 1449/1396 का रकबा 0.6613 खसरा संख्या 1578/1450 का रकबा 0.40 है। अतः राजस्व रेकॅर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु खसरा संख्या 1449/1396 का रकबा 0.36 हैक्टेयर के स्थान पर 0.6213 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1578/1450 का रकबा 0.6613 हैक्टेयर के स्थान पर 0.40 हैक्टेयर दर्ज किया जाना न्यायसंगत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की तरमीम दुरस्ती हेतु मौके पर चारों ओर से नाप कर मौजा हनुमानगढ़, पटवार हल्का गोलासन खसरा संख्या 1449/1396 का रकबा 0.36 हैक्टेयर के स्थान पर 0.6213 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1578/1450 का रकबा 0.6613 हैक्टेयर के स्थान पर 0.40 हैक्टेयर की रेकर्ड दुरस्ती कर रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जावे। इस आशय की पृथक से तहसीलदार सांचौर के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर में एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:38 IST
Reason: SelfAttested